न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
31 / 2021	2021 / 198	22.02.2021	10.10.2022

उनवान प्रकरण

भींवाराम पुत्र श्योसहाय उर्फ शिवसहाय आयु 48 वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी धोला भाटा तन् ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—वादी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

—प्रतिवादी

2. ज्याना देवी पत्नि श्योसहाय उर्फ शिवसहाय आयु 70 वर्ष
3. रामा देवी पुत्री श्योसहाय उर्फ शिवसहाय आयु 53 वर्ष
4. भागोती देवी पुत्री श्योसहाय उर्फ शिवसहाय आयु 52 वर्ष
5. पोखर पुत्र श्योसहाय उर्फ शिवसहाय आयु 50 वर्ष
6. भींवाराम पुत्र श्योसहाय उर्फ शिवसहाय आयु 48 वर्ष (नाम हजफ दिनांक 7.9.2022)
7. कौशल्या उर्फ संतरा पुत्री श्योसहाय उर्फ शिवसहाय आयु 46 वर्ष
8. गीता देवी पुत्री श्योसहाय उर्फ शिवसहाय आयु 44 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी धोला भाटा तन ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.27 12:28:27 IST
Reason: SelfAttested

—तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थितः—

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका, एड0 वादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
10/10/22

वादपत्र बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी के इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3310 से 3322, 3325, 3327 से 3334 कुल किता 22 कुल रकबा 7.9000 हैक्टर तन् ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित हैं। जिसका वर्तमान राजस्व रिकार्ड 1/4 हिस्से का श्योसहाय पुत्र खांगा के नाम दर्ज चला आ रहा है। जबकि वादी के पिता एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता/पति का सही एवं वास्तविक नाम श्योसहाय पुत्र देबूराम है। उक्त वर्णित भूमियॉ वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की पैतृक शामलाती कृषि भूमिया है। सैटलमेन्ट के वक्त राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकरियों ने सहवन से वादी के पिता एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के पति/पिता का नाम श्योसहाय पुत्र खांगा दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है। जबकि वादी के पति एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता/पति का सही एवं वास्तविक नाम श्योसहाय पुत्र देबूराम है। सही नाम वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के राशनकार्ड एवं श्योसहाय के मृत्यु प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक में वादी के पिता एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता/पति के पिता का नाम सही रूप से श्योसहाय पुत्र देबूराम ही दर्ज है जो सही एवं सत्य है। वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण उक्त वर्णित कृषि भूमियों में अपने पति/पिता के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा अब वर्तमान में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के पति/पिता का स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण ने अपने मृत्तक पति/पिता के नाम दर्ज भूमि का नामान्तरण अपने नाम कराने गये तो राजस्व रिकार्ड में अपने पति/पिता का नाम श्योसहाय पुत्र देबूराम के स्थान पर श्योसहाय पुत्र खांगा होने की [illegible] हुयी तब वादी ने राजस्व कर्मचारियों को इस बाबत कंहा [illegible] को कोर्ट में दावा पेश करने की कहे जाने पर दावा पेश किया गया। राजस्व रिकार्ड में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के पति/पिता का नाम सही अंकित नहीं होने से वादी एवं तरतीबी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.27 12:28:27 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रतिवादीगण को सख्त हकतल्फी है। राज्य सरकार द्वारा खातेदारों को दी जाने वाली सुविधाओं से भी वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को वंचित रहना पड़ रहा है। वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में अपने पति/पिता का नाम दुरूस्त करवाने के अधिकारी है तथा उक्तानुसार दुरूस्ती की जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता/पति का नाम श्योसहाय पुत्र खांगा के स्थान पर श्योसहाय पुत्र देबूराम दर्ज किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 8 के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर अंकित किये जाने के आदेश दिये जाने बाबत दावा बहक प्रतिवादी के न्यायालय में पेश किया गया हैं।

इस पर वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की सम्मन तामील असालतन होकर लौटी है। बावजूद असालतन तामील के हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 का नाम हजफ किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रतिवादी सं. 6 का नाम हजफ किया गया। तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 से 5, 7 व 8 की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार गौड़, एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2341/भू.अ./2022 दिनांक 24.08.2022 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। साक्ष्य वादी में वादी भींवाराम व वादी साक्ष्य गवाह में फूलाराम पुत्र मुरलीराम व झाबरमल पुत्र हनुमान सहाय के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने एंव साक्ष्य वादी में शपथ पत्र पेश हो जाने से वकील वादी ने वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने बाबत निवेदन किया।

हमनें वादी अभिभाषक की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर गौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों वादी के आधार कार्ड, मतदाता पहिचान पत्र, बैंक ऑफ इण्डिया की पास बुक, पंजाब नेशनल बैंक की पास बुक, जन आधार कार्ड,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.27 12:28:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सरपंच, ग्राम पंचायत झाड़ली, पंचायत समिति खण्डेला द्वारा जारी प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि मे भी वादी के पिता का नाम श्योसहाय पुत्र देबूराम ही अंकित होना स्पष्टः होता है एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी में वादी के पिता का नाम श्योसहाय पुत्र खांगा हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है जबकि वादी के पिता का वास्तविक नाम श्योसहाय पुत्र देबूराम होना रिकार्ड दस्तावेजात् से प्रमाणित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत है कि उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3310 से 3322, 3327 से 3334, 3325 कुल किता 22 कुल रकबा 7.90 हैक्टर की खातेदारी उम्मेदसिंह, विक्रम सिंह, संग्राम सिंह पुत्रगण हनुमान सिंह हिस्सा 3/64 जाति राजपूत व श्योसहाय पुत्र खांगा पिता खांगा के लिए 1/4 कौम जाट के नाम से दर्ज है। श्योसहाय के पिता का नाम देबूराम है। श्योसहाय पुत्र खांगा का वास्तविक नाम श्योसहाय पुत्र देबुराम होना तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है। वादी के दस्तावेजात् यथा आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र में वादी के पिता का नाम श्योसहाय पुत्र देबुराम दर्ज होने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने श्योसहाय पुत्र खांगा के स्थान पर श्योसहाय पुत्र देबुराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा अपनी रिपोर्ट में की है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.27 12:28:27 IST
Reason: SelfAttested

:: क्रियात्मक अंश ::

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा तन् ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सीकर (राज0) में अवस्थित कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3310 से 3322, 3325, 3327 से 3334 कुल किता 22 कुल रकबा 7.9000 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज 1/4 हिस्से का श्योसहाय पुत्र खांगा के स्थान पर श्योसहाय पुत्र देबूराम दर्ज कर उक्त हिस्से की खातेदारी वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 5 व 7, 8 के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर अंकित किये जाने की घोषणा की जाती है तथा भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

10/10/22
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

10/10/22
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.27 12:28:27 IST
Reason: SelfAttested